न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशा.), बीकानेर

पीठासीन अधिकारी:– श्री ए.एच.मौरी, आर.ए.एस

एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र नम्बर मुकदमा 38/2016

अनवान :–

श्री हंसराज साध, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर

प्रार्थी

–: बनाम :–

1– श्री दीपक रूपेला पुत्र ओमप्रकाश रूपेला– मैसर्स रामचन्द्र स्टोर के.ई.एम.रोड़, बीकानेर

2– श्री ओमप्रकाश खत्री– मैसर्स हिन्द स्टोर एजेन्सी के.ई.एम.रोड़, बीकानेर

3– मैनेजर मै0 एलाईड इण्डस्ट्रीज ई. 9 इन्डस्ट्रीयल एस्टेट कोटा (राज.) 324007

अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी स्टेट की ओर से उनके प्रतिनिधि
2. अप्रार्थी संख्या– 1 व 3 की ओर से – श्री प्रेम प्रकाश मदान अधिवक्ता।

–: निर्णय :– दिनांक 04.02.2019

1. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हे कि प्रार्थी श्री हंसराज साध, खाध सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया दिनांक 10.06.2015 को निरीक्षण के दौरान मै0 रामचन्द्र स्टोर के.ई.एम. रोड़, बीकानेर पर आमजन बिक्री हेतु पैक्ड पौहा (Tounch) 800gm x 10 नग रखा था। तदन्तर मिलावट की आंशका होने पर उक्त पैक्ड पौहा (Tounch) 800gm x 10 की कीमत 65 X 4 नग = 260/– की बताई गई। उक्त खाद्य पदार्थ नमूना संग्रह हेतु क्रय कर उनके द्वारा बताये अनुसार मूल्य 260/– रूपये में खरीद कर नगद भुगतान कर रसीद प्राप्त की, जिस पर विकेता, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। विक्रेता से उक्त नमूना जांच की पैक्ड पौहा (Tounch) 800gm की कागज में पैक्ड पर लैबल फॉर्म तैयार कर उस पर विक्रेता गवाह के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं अपने हस्ताक्षर किये तथा चारों पर एक–एक लैबल फॉर्म गोंद से चिपकाया। प्रत्येक पैकड नमूना पर मोटा मजबूत खाखी कागज लपेटकर ऊपर नीचे से गोंद से अच्छी तरह चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना पर डीओ/सीएमएचओ द्वारा जारी पेपर स्लिप जे– 949 जो कि उनके द्वारा हस्ताक्षरित थी, को टोप दी बोटम प्रक्रिया द्वारा गोंद से अच्छी तरह चिपकाया तथा चारों पैकड नमूना पर क्रमशः मोटा मजबूत धागे से कसकर ऊपर से नीचे दाये से बाये बांधा और ब्रास शील्ड द्वारा चारों तरफ सील द्वारा चपड़ी का प्रयोग करते हुवे शिल्ड पैक किया और प्रत्येक पैकड नमूना को पेपर स्लिप क्रॉस करते हुए विक्रेता एवं दोनों गवाह के हस्ताक्षर करवाये और स्वयं प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये और चारों नमूना पैक्ड को अपने कब्जे में लिया। उक्त कार्यवाही के पश्चात मौके पर फर्द मुआयना रिपोर्ट तैयार की जिसे पढ़कर पढाकर समझा कर उपरोक्त तीनों के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं प्रार्थी ने हस्ताक्षर किये तथा नियमानुसार समस्त प्रक्रिया पूर्ण कर उक्त नमूना शील्ड पैक मुख्य जन

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, राज.जयपुर को जांच हेतु भेजी गई । जिनके यहां से जांच रिपोर्ट क्रमांक एल.एस./1719/एक्ट/2015/ दिनांक 03.09.2015 को जांच रिर्पोट प्राप्त हुई जिसमें पैक्ड पौहा (Tounch) मिसब्राण्ड पाया गया है। प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थीगणों द्वारा आमजन को पैक्ड पौहा (Tounch) मिसब्राण्ड स्तर का उपलब्ध कराने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इसलिये धारा 52 के अनुसार खाद्य पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे ।

2. उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थीगणों की ओर उसे श्री प्रेम प्रकाश मदान अधिवक्ता ने वकालतनामा व जवाब प्रस्तुत किया। चूंकि प्रकरण दिनांक 11.07.2017 को राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष रखा गया था किन्तु उनकी सहमति नहीं होने पर पुनः नियमित सुनवाई में रखा गया। तद्न्तर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि का कथन है कि इस मामले में प्रार्थी निरीक्षक द्वारा अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से पैक्ड पौहा (Tounch) का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई । मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में अप्रार्थी मै0 रामचन्द्र स्टोर ई.एम.रोडऋ. बीकानेर के यहां वेज पैक्ड पौहा (Tounch) मिसब्राण्ड पाया गया। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट क्रमांक L.S. 1719/Act/ 2015/ दिनांक 03.09.2015 अनुसार पैक्ड पौहा (Tounch) मिसब्राण्ड पाया गया है, जो निर्धारित मानक के अनुसार नहीं है इस अप्रार्थी की दुकान पर पैक्ड पौहा (Tounch) मिसब्राण्ड का पाया गया है जो धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है । विभागीय प्रतिनिधि का निवेदन है कि इस मामले में अप्रार्थी को धारा 52 के तहत अधिक से अधिक जुर्माने से आरोपित किया जावे।

4. अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुवे परिवाद के बिन्दुओं को अस्वीकार कर कथन किया है कि परिवाद में अप्रार्थीगण के विरूद्ध फूड सेफ्टी एण्ड स्टेण्डर्ड(पैंकेजिंग एण्ड लैबलिंग) रेगुलेशन 2011 के रेगुलेशन नं. 2.2.2(3)(ii) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। जो अप्रार्थी क्रम –3 के द्वारा विक्रय किये जाने वाले उत्पाद पर लागू नहीं होते है। अप्रार्थी क्रम–3 के द्वारा अपने उत्पाद 24 टंच पोहा के साथ दिया जाने वाला टेस्ट मैक में रॉ स्पाईसेज एवं टेबल सॉल्ट होने के कारण नियमानुसार इसकी न्यूट्रीशल इन्फॉरमेशन देने की आवश्यकता नहीं है। अप्रार्थीगण के विरूद्ध परिवाद विधि विरूद्ध पेश किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा अप्रार्थी क्रम–3 को कोई सुनवाई एवं स्पष्टीकरण का कोई मौका नहीं दिया है, ना ही सैंपल और खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के संबंध में कोई कानूनी पक्ष रखने का मौका दिया है। इसलिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया उक्त परिवाद खारिज फरमाया जावे तथा अप्रार्थीगण को दोष मुक्त किया जावे।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

5. हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से सर्वप्रथम यह प्रकट हुआ है कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी मैसर्स रामचन्द्र स्टोर के.ई.एम.रोड़ बीकानेर के यहां दिनांक 10.06.2015 को पैक्ड पौहा (Tounch) के नमूना जांच हेतु सेम्पल लिया गया तथा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को दिनांक 11.06.2015 को भेजा गया। जिसकी जांच रिपोर्ट दिनांक 03.09.2015 को प्राप्त हुई तथा परिवाद 21.06.2016 को प्रस्तुत किया गया। चूंकि परिवाद धारा 77 खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के प्रावधान के अनुसार समय सीमा में प्रस्तुत नहीं हुआ है। इस संबंध में हमारे द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 77 प्रावधानो का अवलोकन किया। इस प्रावधान के अनुसार यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि " इस अधिनियम में किसी बात की होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन कोई न्यायालय किसी अपराध के कारित होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।" इसी प्रावधान के परंतुक के अनुसार "परंतु खाद्य सुरक्षा आयुक्त, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से तीन वर्ष तक की विस्तारित अवधि के भितर अभियोजन की मंजूरी दे सकेगा।" पत्रावली के अवलोकन से अप्रार्थीगण मौका स्थल से दिनांक 10.06.2015 को सेम्पल लिया गया था। जिसकी जांच रिपोर्ट दिनांक 03.09.2015 को प्राप्त हो चुकी थी। परिवादी पक्ष को सक्षम अधिकारी से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर धारा 77 के प्रावधानों के अनुसार नियत समय अवधि एक वर्ष तथा अर्थात इस प्रकरण हेतु 10.06.2016 से पूर्व परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना प्रावधानो के अनुसार आवश्यक था परंतु इस प्रकरण में परिवाद 21.06.2016 को प्रस्तुत किया गया है। जो कि प्रावधानो के विरूद्ध नियत समय अवधि एक वर्ष के पश्चात् प्रस्तुत किया गया है। धारा 77 के परंतुक के अनुसार खाद्य सुरक्षा आयुक्त लेखबद्ध किये जाने वाले कारणो से तीन वर्ष तक की विस्तारित अवधि के भीतर अभियोजन की मंजूरी दे सकेगा। पत्रावली के अवलोकन से इस प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति क्रंमाक CMHO/FSSA/6076 दिनांक 21.06.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर द्वारा प्रदत्त की गई है। जो कि धारा 77 के प्रावधानो के अनुसार एक वर्ष की समयावधि के पश्चात प्रदत्त की गई है। इस अभियोजन स्वीकृति में धारा 77 के परंतुक में लिये गये प्रावधानो की कत्तई पालना नही की गई है इसलिए दिनांक 21.06.2016 को अभिहित अधिकारी द्वारा जारी की गई अभियोजन स्वीकृति अप्रार्थी पक्ष के विरूद्ध नहीं पढ़ी जा सकती । परिवादी पक्ष द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 77 में दिये गये प्रावधानों के विपरीत एक वर्ष की समय सीमा समाप्त हो जाने के पश्चात यह परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। इस परिवाद पर न्यायालय धारा 77 के प्रावधानों का परिवादी पक्ष द्वारा उल्लंघंन किये जाने के कारण अप्रार्थी पक्ष के विरूद्ध प्रसंज्ञान लेना न्यायोचित नहीं समझती है।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

6. अतः उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में परिवादी पक्ष द्वारा अप्रार्थीपक्ष के विरूद्ध प्रस्तुत परिवाद जुर्म अतर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (II) खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 अधिनियम की धारा 77 प्रावधानों के विपरीत एक वर्ष की समय सीमा समाप्त हो जाने के पश्चात् प्रस्तुत किये जाने के कारण न्यायालय अप्रार्थी के पक्ष के विरूद्ध उक्त जुर्म में प्रसंज्ञान नहीं लिये जाने का आदेश दिया जाता है। परिवादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत परिवाद उपर्युक्त आधारो पर धारा 77 प्रावधानो के अतंर्गत खारिज किया जाकर अप्रार्थी पक्ष के विरूद्ध परिवादित कार्यवाही समाप्त की जाती है।

7. यह निर्णय आज दिनांक **04.02.2019** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । निर्णय प्रति अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के प्राधिकृत प्रतिनिधि (अधिवक्ता) को पालनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

(ए.एच.मौरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन)
बीकानेर

Scanned by CamScanner